उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-2
संख्या-93/2024/440/41-2-2024-CN-1779162
लखनऊ दिनांक 09 मार्च, 2024

शुद्धि पत्र

महानिदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-9337/6-1-1(1492)/2023-24, दिनांक 28 फरवरी, 2024 द्वारा संसूचित वस्तुस्थिति के अनुसार जनपद बांदा में भूरागढ़ किले पर रिवरफ्रन्ट के पर्यटन विकास कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-40/2024/आई/ 497221/43/41-2-2024-CN-1779162 दिनाँक 16.02.2024 के माध्यम से अप्रेजल समिति द्वारा आंकलित की गयी लागत रू0 485.95 लाख (जी0एस0टी0 सहित) के स्थान पर रू0 485.92 लाख (रूपये चार करोड़ पच्चासी लाख बानवे हजार मात्र) (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय स्वीकृति अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 16.02.2024 को संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, बांदा।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- अनु सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0), लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 (यू0पी0एस0टी0डी0सी0), लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- उप निदेशक (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, चित्रकूट मण्डल, चित्रकूट।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in